

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

वनादेश 57 / 1-13 (HRD) देहरादून, दिनांक 09 जून, 2023

तैनाती आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित WP(S/B) 706/2022 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2023 के अनुपालन में अक्षेत्रीय/कार्यकारी वन प्रभागों/रेंजों एवं अन्य क्रियान्वयन पदों में कार्यरत 26 वन क्षेत्राधिकारियों से क्षेत्रीय रेंजों में कार्य करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इच्छा पत्र मांगे गये। इससे पूर्व प्राप्त इच्छापत्र/विकल्पों के आधार पर 11 वन क्षेत्राधिकारियों के तैनाती आदेश जारी किये गये।

पुनः प्राप्त इच्छा पत्र/विकल्प के क्रम में निम्न 05 वन क्षेत्राधिकारियों को वर्तमान में उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रभाग में वन क्षेत्राधिकारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से अपने वर्तमान अक्षेत्रीय प्रभागों/रेंजों एवं अन्य क्रियान्वयन पदों के प्रभार से कार्यमुक्त करते हुए क्षेत्रीय वन प्रभागों की क्षेत्रीय वन रेंजों में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती की जाती है :-

क्र० सं०	वन क्षेत्राधिकारी का नाम	वर्तमान प्रभाग	एतद्वारा तैनाती का प्रभाग
1	2	3	4
1	श्री राजकुमार पाण्डेय	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (कार्यालय से सम्बद्ध)	नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ
2	श्री कृष्ण सिंह भण्डारी	भूमि संरक्षण, वन प्रभाग, लैन्सडौन (अक्षेत्रीय रेंज गोहरी में कार्यरत)	चकराता वन प्रभाग, चकराता
3	श्री सेवा राम मौर्य	रामनगर वन प्रभाग रामनगर (कोर्ट प्रभारी)	गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला
4	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर (कार्यालय से सम्बद्ध)	गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
5	श्री सुरेश चन्द्र मैदोला	चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत (टनकपुर लीसा डिपों में कार्यरत)	बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी तत्काल प्रभाव से उक्त वन क्षेत्राधिकारियों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त वन क्षेत्राधिकारियों को तत्काल अपने प्रभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय रेंज का कार्यभार ग्रहण करवाकर अनुपालन आख्या तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)
उत्तराखण्ड।

9.6.2023

पत्र संख्या 1556/1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
5. आदेश में अंकित सम्बन्धित कार्यालय/प्रभाग।
6. आदेश में अंकित सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड बुक।

(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

उत्तराखण्ड।